केन्द्रीय विद्यालय संगठन
केन्द्रीय विद्यालय सगंठन /KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा/REGIONAL OFFICE, AGRA
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार)
(Under Ministry of HRD, Govt. of India)
ग्रान्ड परेड रोड, आगरा छावनी/Grand Parade Road, Agra Cantt
आगरा (उ.प्र.)- 282001/Agra (U.P.) - 282001
☎0562-2225530, 2225588, 2225523
Fax : 0562-2225374
www.kvsroagra.org

पत्रांकः 300729/2017/केविसं(आ.सं.)प्रशा./ 4127 दिनांकः 15.12.2017

ई–मेल

सेवा में
प्राचार्यवृंद
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
आगरा संभाग

विषय :- दिनांक 15.12.2017 से 05.01.2018 तक संसद का सत्र चलने तथा संसदीय प्रश्नों से संबंधित जानकारी /सूचनाँए उच्च प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय पर संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) केविसं मुख्यालय नई दिल्ली के दिनांक 30.11.2017 के पत्र, सख्या– एफ.11012–2/2016–केविसं मु.(प्रशा–1/सीसीपीयू) की प्रतिलिपि मय संबंधित अनुलग्नकों सहित इसके साथ संलग्न कर सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

प्रसंगाधीन मामले में आपको निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं जिनका विद्यालय स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना एक अनिवार्य अपेक्षा है :–

1. वर्तमान संसद (लोकसभा और राज्यसभा) का सत्र दिनांक 15.12.2017 से प्रारंभ होकर दिनांक 05.01.2018 तक संपन्न होना है।

2. संसद के सत्र की उक्त अवधि के दौरान प्राचार्य एंव कार्यालय कार्मिकों इत्यादि को अपने ड्यूटी स्थान पर नियमित रूप से उपस्थित होकर अपनी सेवाएँ देनी होंगी अर्थात उन्हें छुट्टी पर जाने की अनुमति नहीं है। केवल अपरिहार्य कारणो पर ही छुट्टी स्वीकृत की जानी चाहिए तथा इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है।

3. अधोहस्ताक्षरी को स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए अपने उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास कतई नहीं किया जाना चाहिए। इस हेतु प्राचार्य को अपने स्तर पर प्रबंध कर उन्हें इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आदर्श प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

4. संसदीय प्रश्नों से संबंधित जानकारी/सूचनाँए तत्काल निर्धारित समय–सीमा में ही देना अपेक्षित है। इस हेतु विद्यालय में ई–मेल/गूगल शीट की जाँच नियमित रूप से की जानी चाहिए तथा साथ ही विद्यालय कार्मिक इस दौरान अपने मोबाइल का स्विच भी बंद नहीं रखें ताकि उनसे संपर्क करने में सुगमता हो सके।

5. संसदीय प्रश्नों के उत्तर/तदसंबंधी सूचनाँए विद्यालय रिकार्ड की पूर्ण जाँच करने के पश्चात जो सही और तथ्यों पर आधारित हो इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए। प्रेषित किए गए उत्तर की भाषा और शब्दावली सटीक एवं मर्यादित हो, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है।

6. संसदीय प्रश्नों का जवाब जब तक सुचारू रूप से तैयार होकर क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित नहीं किया जाता है तथा क्षे0का0 का संबंधित अधिकारी जो उक्त कार्य देख रहा है, वह आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर /जानकारी से संतुष्ट नहीं हो जाता है तब तक विद्यालय के संबंधित कार्यालयीय कार्मिक अपने घर को प्रस्थान नहीं करेंगे।

लगातार पृष्ठ –2/–

7. जानकारी जिस प्रपत्र में मॉगी जाती है उसी में बिना संशोधन किए पूर्ण जानकारी जो मॉगी गई है उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उसे समेकित कर संगठन मुख्यालय को प्रेषित करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

8. संसदीय प्रश्न का उत्तर अथवा उससे संबंधित जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने से पहले तैयार किए गए पत्र व उसमें दी गई जानकारी की जॉच संबंधित प्राचार्य अपने स्तर पर भली-भॉति ढ़ंग से करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की उल्झन की स्थिति का सामना न करना पड़े।

9. उपर्युक्त के अतिरिक्त आपसे यह भी अनुरोध है कि आप इस बाबत क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के वॉट्सअप ग्रुप से नियमित रूप से संपर्क में रहते हुए उनके द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में उत्तर तत्काल देने का कष्ट करें।

10.उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन समुचित रूप से नहीं करने पर इसकी जिम्मेदारी प्राचार्य एवं संबंधित कार्मिक की स्वंय की होगी तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही पाए जाने पर उक्त कार्मिक के विरूद्ध संगठन के नियमानुसार सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

भवदीय

वाई. अरुण कुमार
(वाई0 अरूण कुमार)
उपायुक्त 15/1/22

प्रतिलिपि :-
1. सभी सहायक आयुक्त/अनुभाग, केविसं क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा को सूचनार्थ।
2. गार्ड फाइल।

वाई. अरुण कुमार
उपायुक्त
15/1/22